न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—197/2020/225 (2020/00197)

1. सीताराम पुत्र चन्द्रा उर्फ रामचन्द्र, जाति माली, निवासी सिरोला रोड़, आई.ओ.सी. कॉलोनी के पीछे भाटीयों का बेरा, ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान, ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. हुक्मीचन्द पुत्र स्व0 चन्द्रा उर्फ रामचन्द्र भाटी, जाति माली निवासी सिरोला रोड़, कॉलोनी के पीछे, भाटीयों का बेरा, ग्राम ठीकराना, मेन्द्रातन ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक, तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 1.10.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 23/2020 (2020/00115).

उपस्थितः—

1. श्री सूरजसिंह चौहान, वकील अपीलांट ।
2. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 12.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय दिनांक 1.10.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 1328/1070 रकबा 0.1619 है0 व खसरा संख्या 1071 रकबा 0.2307 है0 अवस्थित है । अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1069 रकबा 0.3723 है0 है । अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त आराजी की उत्तरी पूर्वी दिशा में ग्राम सिरोला को जाने वाली आम सड़क स्थित है । प्रार्थी अपनी वादग्रस्त आराजियात पर अपने कृषि उपयोग हेतु कृषि यंत्र ट्रेक्टर आदि लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि की दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित सींव के सहारे सहारे स्थित पिछले 40 वर्ष पुराना रास्ता स्थित है, में से होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजियात व अप्रार्थी की भूमि पूर्व में अन्य भूमियों सहित संयुक्त सहखातेदारी की भूमियां थी एवं हाल में उपरोक्त भूमियों का बंटवारा हो जाने के कारण उक्त भूमि खसरा संख्या 1069 अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आने के कारण आदि काल से चले आ रहे रास्ते में प्रार्थी को आने जाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तथा पत्थर डालकर रास्ते को अवरूद्ध करने पर आमादा है । अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जावे कि ग्राम सिरोला को जाने वाली सड़क से होकर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खसरा संख्या 1069 में से 30 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1328/1070 व 1071 तक जाने हेतु दिये जाने का आदेश पारित किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 1.10.2020 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा संख्या 1069 की उत्तरी–पूर्वी दिशा में ग्राम सिरोला को जाने वाली आम सड़क है । अपीलांट अपनी वादग्रस्त आराजियात पर अपने कृषि उपयोग हेतु कृषि यंत्र ट्रेक्टर, बैल, गाय आदि लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि की दक्षिणी–पूर्वी दिशा में स्थित सींव के सहारे सहारे स्थित पिछले 40 वर्षो पुराने रास्ता स्थित है, में से होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजियात व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि पूर्व में अन्य भूमियों सहित संयुक्त खातेदारी की भूमियां थी । हाल में उपरोक्त भूमियों का बंटवारा होने के कारण उक्त भूमि खसरा संख्या 1069 अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आने के कारण उक्त आदि काल से चले आ रहे रास्ते में प्रार्थी को आने जाने से व कृषि यंत्र आदि लाने जाने में अप्रार्थी संख्या 1 बाधा उत्पन्न करता है । अपीलांट अपनी खातेदारी भूमि पर पिछले 40 वर्षो से भी अधिक समय से चले आ रहे रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद हल्का पटवारी ने गलत व असत्य बिन्दूवार रिपोर्ट पेश की है । बिन्दूवार रिपोर्ट पर अपीलांट ने आपत्ति पेश की थी किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र को अपीलांट को बिना सुने खारिज कर दिया । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार रास्ता उपलब्ध कराये जाने के आदेश पारित करने चाहिये थे किन्तु अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने दिनांक 25.9.2020 को अपीलांट व उनके अधिवक्ता को बिना सूचित किये ही प्रकरण की सुनवाई दिनांक 25.9.2020 को नियत कर दी । तत्पश्चात् अपीलांट व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में रेस्पो0 को सुनकर पत्रावली को वास्ते आदेश दिनांक 1.10.2020 को नियत कर प्रार्थना पत्र निरस्त किया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2019 (1) पेज 403, आर0आर0टी0 2018–19 सप्ली0 पेज 186, 342, आर0आर0टी0 2016–17 पेज 597 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अपीलांट की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु पूर्व से खसरा नंबर 1097, 1096, 1091, 1082, 1085, 1078 व 1332/1073 में रास्ते का उपयोग करता चला आ रहा है । इस प्रकार अपीलांट की आराजी में आवागमन का पूर्व से वैकल्पिक रास्ता

उपलब्ध है जिससे अपीलांट नवीन रास्ते का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है । तहसीलदार, ब्यावर ने उक्त तथ्यों का अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है । अधी0न्याया0 द्वारा जारी नोटिस दिनांक 25.9.2020 को ग्राम पंचायत जालिया में उपस्थित होने बावत् स्वंय अपीलांट को तामील हुआ है इसलिये अपीलांट का यह कथन कि उसे उक्त दिनांक बावत् को सूचना नहीं दी गई, किया गया कथन असत्य है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपीलांट की आराजियात में आवागमन हेतु पूर्व से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । अपीलांट ने स्वंय की खातेदारी आराजियात खसरा नंवर 1328/1070 रकबा 0.1619 है0 एवं खसरा नंबर 1071 रकबा 0.2307 है0 में रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी खसरा नंबर 1069 रकबा 0.3723 है0 में से रास्ते का अनुतोष चाहा है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार, ब्यावर से मौका रिपोर्ट तलब की है । तहसीलदार, ब्यावर ने अपनी मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि " प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा 1328/1070 एवं 1971 में आने जाने के लिए रास्ता है । प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत में रास्ते हेतु खसरा नंबर 1097, 1096, 1091, 1082, 1085, 1078 व 1332/1073 में से रास्ते हेतु उपयोग कर रहा है जो मौके पर वर्तमान में मौजूद है । " उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु पूर्व से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत काश्तकार की आराजियात मे आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही रास्ते का अनुतोष प्रदान किये जाने के प्रावधान है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार, ब्यावर की मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट की आराजी में आवागमन का पूर्व से रास्ता होने के कारण अधी0न्याया0 ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है जिसमें हमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.10.2020 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.11.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर